न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू,राज0

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 117/2022

सुभाषचन्द्र आयु 69 वर्ष, पुत्र स्व. गोविन्दराम जाति जाट पेशा खेती निवासी नाटास तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू ।

—रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अं0धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी उनवानी सरकार बनाम सुभाष अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956, मु0न0 43/2022 निर्णय दिनांक 22.08.2022

उपस्थितिः—

1 .श्री विजयपाल, एडवोकेट ———————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक— 10.01.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.08.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुभाष मु0नं0 43/2022 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि — अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। निर्णय के आधार विधिक नहीं हैं। निर्णय अपूर्ण व अस्पष्ट है। अदालत मातहत ने अपीलांट के जवाब को डिस्कस किये बिना ही निर्णय पारित किया है। तत्कालीन [illegible] तहसीलदार द्वारा की गई नियमन की सिफारिश से संबंधित दस्तावेज को बिना डिस्कस [illegible] पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। धारा 91 [illegible] अधिनियम 1956 के प्रावधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

अपीलांट के विरूद्ध लागू नहीं होते हैं। अपीलांट का पुराना कब्जा है और अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान बिन्दु उठाया था। कानून से जहां कब्जे को लेकर कोई सारवान विवाद बिन्दु अस्तित्व में हो तो उस सूरत में संक्षिप्त प्रकिया अपनाकर कार्यवाही की जाना न्याय संगत नहीं होता है। अदालत मातहत ने संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही कर कानूनी गलती की है। जमीन खसरा नंबर 119 रकबा 5.41 हैक्टर सरहद मौजा नाटास स्थित है। उक्त क्षेत्रफल में से 1.38 हैक्टर भूमि की किस्म बंजर 2 है। उक्त भूमि के बाबत तत्कालिन नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी कैम्प कोर्ट गुढागौड़जी ने प्रकरण उनवानी सरकार बनाम सुभाष अं0 धारा 91 राज भू–राजस्व अधि0 मु0नं0 115/2006 निर्णय दिनांक 30.11.2006 अपीलांट के हक में पारित किया था। उक्त निर्णय में नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांट का 1.38 हैक्टर बंजर क्षेत्र पर कब्जा मानकर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 16.10.2001 के आधार पर अपीलांट के पक्ष में कार्यवाही ड्रोप कर निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 30.11.2006 अस्तित्व में है। जमीन खसरा नंबर 119 में अपीलांट ने कुआ बना रखा है। उक्त कुआ बंजड द्वितीय किस्म के भाग में निर्मित है। उक्त कुआ के संबंध में अदालत मातहत ने अपीलांट को एक नोटिस क्रमाक/राजस्व/05/985 दिनांक 13.12.2005 जारी किया। इसके बाद दिनांक 13.01.2006 को नियमानुसार राशि वसूल करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के क्रम में जरिये चालान संख्या 592 दिनांक 16.01.2006 को अपीलांट ने 500 रूपये नियमन शुल्क जमा करवाया। उक्त तमाम आदेश/निर्णय अस्तित्व में एवं प्रभावी हैं। कानून में यह व्यवस्था है कि कोई भी निर्णय/आदेश भले ही गलत अथवा शून्य हो अथवा क्षेत्राधिकार के बाहर हो वह जब तक अस्तित्व में रहेगा तब तक उसे सही माना जायेगा। इस प्रकार अदालत मातहत ने जब अपीलांट के विरूद्ध पुनः अदालत मातहत को उक्त अधिनियम की धारा 91 के तहत उसी भूमि बाबत पुनः कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। इस प्रकार अदालत मातहत ने विधि को नजर अंदाज कर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित [illegible]नांक 22.08.2022 अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। निर्णय के आधार विधिक नहीं हैं। निर्णय अपूर्ण व अस्पष्ट है। अदालत मातहत ने अपीलांट के जवाब को डिसकस किये बिना ही निर्णय पारित किया है। तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा की गई नियमन की सिफारिश से संबंधित दस्तावेज को बिना डिसकस किये निर्णय पारित किया गया है। धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अपीलांट के विरूद्ध लागू नहीं होते हैं। अपीलांट का पुराना कब्जा है और अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान बिन्दु उठाया था। कानून से जहां कब्जे को लेकर कोई सारवान विवाद बिन्दु अस्तित्व में हो तो उस सूरत में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही की जाना न्याय संगत नहीं होता है। अदालत मातहत ने संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही कर कानूनी गलती की है। जमीन खसरा नंबर 119 रकबा 5.41 हैक्टर सरहद मौजा नाटास स्थित है। उक्त क्षेत्रफल में से 1.38 हैक्टर भूमि की किस्म बंजर 2 है। उक्त भूमि के बाबत तत्कालिन नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी कैम्प कोर्ट गुढागौड़जी ने प्रकरण उनवानी सरकार बनाम सुभाष अं0धारा 91 राज भू–राजस्व अधि0 मु0नं0 115/2006 निर्णय दिनांक 30.11.2006 अपीलांट के हक में पारित किया था। उक्त निर्णय में नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांट का 1.38 हैंक्टर बंजर क्षेत्र पर कब्जा मानकर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 16.10.2001 के आधार पर अपीलांट के पक्ष में कार्यवाही ड्रोप कर निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 30.11.2006 अस्तित्व में है। जमीन खसरा नंबर 119 में अपीलांट ने कुआ बना रखा है। उक्त कुआ बंजड द्वितीय किस्म के भाग में निर्मित है। उक्त कुआ के संबंध में अदालत मातहत ने अपीलांट को एक नोटिस क्रमाक/राजस्व/05/985 दिनांक 13.12.2005 जारी किया। इसके बाद दिनांक 13.01.2006 को नियमानुसार राशि वसूल करने क[illegible] दिया। उक्त आदेश के क्रम में जरिये चालान संख्या 592 दिनांक 16.01.2006 को अपीलांट ने 500 रूप्ये नियमन शुल्क जमा करवाया। उक्त तमाम आदेश/निर्णय अस्तित्व में एवं प्रभावी हैं। कानून में यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

व्यवस्था है कि कोई भी निर्णय/आदेश भले ही गलत अथवा शून्य हो अथवा क्षेत्राधिकार के बाहर हो वह जब तक अस्तित्व में रहेगा तब तक उसे सही माना जायेगा। अदालत मातहत ने जब अपीलांट के विरूद्ध पुनः अदालत मातहत को उक्त अधिनियम की धारा 91 के तहत उसी भूमि बाबत पुनः कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि हल्का पटवारी नाटास की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 119 रकबा 5.41 हैक्टर किस्म बंजड़ में से 1.24 हैक्टर भूमि पर मकान मय विद्युत कनेक्शन व जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय दिनांक 22.8.2022 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन रहा है कि विवादित भूमि जमीन खसरा नंबर 119 रकबा 5.41 हैक्टर संरहद मौजा नाटास स्थित है जिसमें से 1.38 हैक्टर बंजर भूमि के बाबत तत्कालिन नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी कैम्प कोर्ट गुढागौड़जी ने प्रकरण उनवानी सरकार बनाम सुभाष अं0 धारा 91 राज भू–राजस्व अधि0 मु0नं0 115/2006 निर्णय दिनांक 30.11.2006 में नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांट का 1.38 हैक्टर बंजर क्षेत्र पर कब्जा मानकर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 16.10.2001 के आधार पर अपीलांट के पक्ष में कार्यवाही ड्रोप कर निर्णय पारित किया। निर्णय दिनांक 30.11.2006 आज भी अस्तित्व में है। जमीन खसरा नंबर 119 में अपीलांट ने कुआ बना रखा है। उक्त कुआ [illegible] किस्म के भाग में निर्मित है। उक्त कुआ के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय [illegible] अपीलांट की एक नोटिस कमाक/राजस्व/05/985 दिनांक 13.12.2005 जारी किया। इसके बाद दिनांक 13.01.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

2006 को नियमानुसार राशि वसूल करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के क्रम में जरिये चालान संख्या 592 दिनांक 16.01.2006 को अपीलांट ने 500 रूपये नियमन शुल्क जमा करवाया। उक्त तमाम आदेश/निर्णय अस्तित्व में एवं प्रभावी हैं। है। अदालत मातहत ने अपीलांट के जवाब को डिस्कस किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो अपूर्ण व अस्पष्ट तथा स्पीकिंग नहीं है। निर्णय के आधार विधिक नहीं हैं। तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा की गई नियमन की सिफारिश से संबंधित दस्तावेज को बिना डिस्कस किये निर्णय पारित किया गया है, आदि।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उठाये गये उक्त तमाम तथ्यों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उनके संलग्न दस्तावेजात से प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पर अपीलांट द्वारा नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। प्रकरण पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय में निर्णित होकर अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध दो लाईन का निर्णय लिखकर बेदखली का आदेश दिनांक 22.8.2022 पारित किया गया है। पारित आदेश में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात को नहीं मानने एवं निर्णय में उनकी बिना विवेचना किये उक्त निर्णय पारित किया गया है जो स्पीकिंग निर्णय/आदेश की श्रेणी में नहीं आता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं स्पीकिंग निर्णय नहीं होने एवं इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08. 2022 सरकार बनाम सुभाष, मु0न0 43/2022 नि[illegible] जाता है। प्रकरण तहसीलदार गुढा गौड़जी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया [illegible] है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलांट के पुराने कब्जे, पूर्व में पारित निर्णय एवं राज्य सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

द्वारा जारी परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात की विधिक रूप से पूर्ण विवेचना के उपरान्त पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested